प्रेस-नोट दिनांक- 05.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना-संग्रामगढ़ जनपद-प्रतापगढ़

निर्माण सामग्री चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार – थाना संग्रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में संग्रामगढ़ पुलिस की कार्यवाही

चोरी की गई निर्माण सामग्री (क्रास बैरियर प्लेट, बैक प्लेट, कपलर पाइप, एयू जैक, वाइब्रेटर निडिल) बरामद

थाना संग्रामगढ़ पुलिस ने रायबरेली व प्रतापगढ़ जनपद के 02 अभियुक्तों को दबोचा

अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद, मुकदमे में धारा की बढ़ोत्तरी

घटना का विवरण-

थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रातंर्गत दिनांक 30/08/25 को कैम्प नम्बर 11 मे चैनेज नम्बर 547552 अर्रो पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है जहाँ पर काफी मात्रा मे सटरिंग मटेरियल इत्यादि सामान चोरी होने के सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 157/25 धारा 305 (ई) बीएनएसका अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना संग्रामगढ़ प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 अशोक कुमार सिंह मय हमराह का0 पंकज सिंह,का० रामनरेश जाट, का0 धनन्जय श्रीवास्तव द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 157/25 धारा 305 (ई), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1.सीताराम पाल पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम समसपुर खालसा थाना सलवन जिला रायबरेली उम्र 26 वर्ष 2. रघुनाथ सरोज पुत्र पुद्दन निवासी ग्राम दिनऊ का पुरवा नौढ़िया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत दिनउ का पुरवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी का 4 अदद क्रास बैरियर प्लेट, 4 अदद बैक प्लेट, 5 अदद कपलर पाइप, 5 अदद एयू जैक, 1 अदद वाइब्रेटर निडिल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सीताराम पाल पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम समसपुर खालसा थाना सलवन जिला रायबरेली उम्र 26 वर्ष

2. रघुनाथ सरोज पुत्र पुद्दन निवासी ग्राम दिनऊ का पुरवा नौढ़िया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
बरामदगी - 4 अदद क्रास बैरियर प्लेट, 4 अदद बैक प्लेट, 5 अदद कपलर पाइप, 5 अदद एयू जैक, 1 अदद वाइब्रेटर निडिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अशोक कुमार सिंह मय हमराह का0 पंकज सिंह,का० रामनरेश जाट, का0 धनन्जय श्रीवास्तव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना–कोहंडौर, जनपद–प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना कोहंडौर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार
पूछताछ में अभियुक्त ने पुत्र संग मिलकर कई जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को स्वीकारा
अभियुक्त की निशानदेही पर 02 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद
बरामद मोटरसाइकिलें पूर्व में प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर जनपद से दर्ज मुकदमों से संबंधित
गिरफ्तार अभियुक्त – हनीफ खां पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम कटारी थाना कोहंडौर (59 वर्ष)
सह-अभियुक्त दिलशाद खां उर्फ बब्लू (पुत्र) फरार
अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 133/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत
थाना कोहंडौर पुलिस टीम द्वारा सफल गिरफ्तारी व बरामदगी

घटना का विवरण –
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह का0 मुकेश कुमार, का0 गौरव बाबू, का0 पुष्पेन्द्र यादव, हे0का0 राजीव व का0 मनीष यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के कटारी मोड़ के पास से एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर जनपद प्रतापगढ़ एवं जनपद सुल्तानपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चोरी करता है। अभियुक्त की निशानदेही पर

दो अदद चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस (काले रंग की) बरामद की गईं। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में सत्यापन उपरांत पाया गया कि दोनों मोटरसाइकिलें पूर्व में जनपद सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ के थानों में दर्ज चोरी की घटनाओं से संबंधित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –
हनीफ खां पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम कटारी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 59 वर्ष।
(सह-अभियुक्त दिलशाद खां उर्फ बब्लू पुत्र हनीफ खां – फरार)

बरामदगी का विवरण –
मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस (काला रंग), रजिस्ट्रेशन नं0 UP44 BL 9079, थाना को नगर जनपद सुल्तानपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 275/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित।
मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस (काला रंग), रजिस्ट्रेशन नं0 UP72 BM 6770, थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ में दर्ज मुकदमा संख्या 137/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित।

कानूनी कार्यवाही –
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोहंडौर पर मु0अ0सं0 133/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
थानाध्यक्ष कोहंडौर धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह का0 मुकेश कुमार, का0 गौरव बाबू, का0 पुष्पेन्द्र यादव, हे0का0 राजीव व का0 मनीष यादव

थाना–हथिगवां, जनपद–प्रतापगढ़
बकरी चराने के विवाद में किशोरी की हत्या, थाना हथिगवां पुलिस ने विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में मिली सफलता

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह

घटना का विवरण –

दिनांक 03.09.2025 को वादी निवासी ग्राम टिकुरी दशरथपुर थाना हथिगवां जनपद – प्रतापगढ़ द्वारा थाना हथिगवां पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री (उम्र लगभग 14 वर्ष) गाँव के पांडे की बगिया में बकरी चरा रही थी। उसी समय ग्राम का बालक भी बकरी चरा रहा था। बकरी चराने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान बालक के पिता व भाई मौके पर पहुँचकर गाली-गलौज करने लगे। तत्पश्चात बालक ने सड़क निर्माण में प्रयुक्त गिट्टी/बोल्डर उठाकर पुत्री के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गई। घायल पुत्री को पहले डॉ0 गुप्ता, समसपुर से उपचार हेतु सीएचसी कुण्डा भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने पुत्री को मृत घोषित कर दिया। इस घटना पर थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 170/25 धारा 103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस की कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के नेतृत्व में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, म0का0 नीलम, म0का0 पूजा का0 अजीत सिंह यादव, का0 अशेष कुमार, का0 अमित कुमार सिंह चालक द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अहिबरनपुर चौराहे के पास से थाना हथिगवां मे पंजीकृत मु0अ0सं0 170/25 धारा 103(1)/352 बीएनएस से संबंधित वांछित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार बालक से पूछताछ में उसने घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने गिट्टी/बोल्डर से वार किया था। घटना में प्रयुक्त गिट्टी/बोल्डर की बरामदगी हेतु अभियुक्त को लेकर मौके पर जाया गया, किंतु सड़क निर्माणाधीन होने तथा पूरे मार्ग पर गिट्टी/बोल्डर बिछे होने के कारण विशिष्ट बोल्डर की पहचान व बरामदगी सम्भव नहीं हो सकी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

(विधि का उल्लंघन करने वाला बालक)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक – श्री नन्दलाल सिंह उ0नि0 – राधेश्याम सिंह म0का0 – नीलम, म0का0 पूजा, का0 – अजीत सिंह यादव, का0 अशेष कुमार, का0 अमित कुमार सिंह (चालक)

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक तमन्चा नाजायज 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भूपियामऊ रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि० विनोद कुमार मय हमराह हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय कुमार, का0 संतोष यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के भुपियामऊ रेलवे फाटक के पास से मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेन्डर यूपी 72 एयफ 0520 सवार 01 अभियुक्त सूर्यमणि मिश्रा उर्फ संजू मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा नि० ग्राम श्रीनाथपुर कोपा थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष के पास से एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्त के पास से एक तमन्चा नाजायज 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस नाजायज 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 230/25 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सूर्यमणि मिश्रा उर्फ संजू मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा नि० ग्राम श्रीनाथपुर कोपा थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष

आपराधिक इतिहास सूर्यमणि मिश्रा उर्फ संजू मिश्रा सूर्यमणि मिश्रा उर्फ संजू मिश्रा

1. मु0अ0सं0 1073/2016 धारा 302/307/34/386 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ

2. मु0अ0सं0 1077/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ

3. मु0अ0सं0 230/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ

बरामदगी-

01 तमन्चा नाजायज 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि० विनोद कुमार मय हमराह हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय कुमार, का0 संतोष यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह हे कां0 रामकुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर अ0सं0 200/97 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना लालगंज से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार तिवारी बृजनारायण तिवारी निवासीग्राम पूरे पण्डित तिलकराम ढिगौसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सत्येन्द्र कुमार तिवारी बृजनारायण तिवारी निवासीग्राम पूरे पण्डित तिलकराम ढिगौसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह हे कां0 रामकुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।